लावारिस व घुमंतू बच्चे होंगे सूचीबद्ध

बैठक

राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रूपा कपूर ने दिये निर्देश

बताया, बेसहारा बच्चों के लिए जल्द लागू होगा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम

वाराणसी। लावारिस, निराश्रित, भीख मांगने वाले और स्कूल से ड्रॉप आउट बच्चों को सूचिबद्ध करेंगे। ताकि उनका न सिर्फ पुनर्वास आदि कराया जा सके बल्कि समाज में स्थान दिलाने के लिए उन्हें बाल अधिकारों के प्रति जागरूक करना संभव हो। इसके लिए जल्द ही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसेस (एसओपी) प्रक्रिया अपनायी जाएगी।

विकास भवन सभागार में शुक्रवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रूपा कपूर ने संबंधित अफसरों को इस बारे में निर्देश दिये। उन्होंने किनारे झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को भी इस अभियान में शामिल करने को कहा। जिससे संबंधित बच्चों को सही दिशा देने की पहल हो।

उन्होंने पुलिस को दोस्ताना व्यवहार करने पर बल देते हुए कहा कि संबंधित परिवारों और उनके बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि पुलिस हमारी मददगार है। इस मौके पर अधिकारियों ने कई व्यावहारिक समस्याओं की जानकारी देते हुए बताया कि निराश्रित नाबालिगों के लिए अल्पावास गृहों का अभाव है। मानसिक रूप से बीमार लड़कियों को एनजीओ अपने शेल्टर में नहीं रखना चाहते। निराश्रित, लावारिस या झुग्गी-झोपड़ियों के बच्चों का न तो निवास प्रमाण-पत्र नहीं बनता है और न ही उनका कहीं पंजीकरण है।

विकास भवन सभागार में बैठक करती राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रूपा कपूर

बैठक में एक पुलिस अफसर ने बताया कि रेस्क्यू के मामलों में थानों में केस दर्ज करने की समस्या को देखते हुए ऐसे सभी मामले सारनाथ थाने में दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। इस अवसर पर डीएम राजमणि यादव, प्रभारी सीडीओ हुब लाल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उसके बाद सुश्री कपूर ने सर्किट हाउस में एनजीओ प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग की।